सं-6डब्ल्यू/सी.वी.ओ/61

भारत सरकार

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक: 15.10.2009

विषय: मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों के अलावा अन्य संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसार आयोग, केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्गों के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए अधिदेशाधीन है । इसका तात्पर्य है कि सभी 'निगमों', सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों (भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा बीमा कंपनियों से पृथक) में अपना स्वंय का एक सतर्कता कोष्ठ होना चाहिए जिसके अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा सतर्कता अधिकारी होने चाहिए । वस्तुत:, आयोग, मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ अपने विचार-विमर्श के दौरान इस की आवश्यकता के लिए बल देता रहा है । तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अब भी, उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले कुछ संगठन हैं जिनके पास आंतरिक सतर्कता कोष्ठ तथा/अथवा विधिवत नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा सतर्कता अधिकारी नहीं हैं ।

2. सभी मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से तदनुसार यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपर्युक्त प्रकार के प्रत्येक संगठन में, एक उचित/संरचित सतर्कता कोष्ठ का गठन करें यदि यह पहले से विद्यमान नहीं है । इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट दो माह के भीतर संलग्न प्रपत्र में आयोग को प्रस्तुत करें ।

ह0/-
(पी.एम. पिल्लै)
विशेष कार्य अधिकारी

<u>संगठन प्रोफाईल</u>

(i)	संगठन का नाम	:
(ii)	संगठन की स्थिति (सरकारी क0./निगम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक प्राधिकरण, समिति, सम्बद्ध कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण)	:
(iii)	प्रशासनिक अथवा नोडल मंत्रालय/ संबंधित विभाग	:
(iv)	संगठन की कोर गतिविधियां	:
(v)	संगठनात्मक ढांचा, कार्यकारियों तथा कर्मचारियों आदि की संख्या (समूह-वार)	:
(vi)	सतर्कता कोष्ठ का विवरण	:
(vii)	मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी का नाम	:
(viii)	मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी का संक्षिप्त में सेवा विवरण	:
(ix)	मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की तिथि	:
(x)	मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि	:

(मंत्रालय/विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर)